# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 14/2020(2020/00055)

अनवान : –

1. हिमांशु पवन सरावगी पुत्र सरोज देवी जाति अग्रवाल निवासी राजगढ़ हाल निवासी सीएचएस तुकाराम नगर डोंबीवली ईस्ट, कल्याण, महाराष्ट्र।
2. निकिता पवन सरावगी पुत्र सरोज देवी जाति अग्रवाल निवासी राजगढ़ हाल निवासी सीएचएस तुकाराम नगर डोंबीवली ईस्ट, कल्याण, महाराष्ट्र।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट**

उपस्थिति :– श्री महबूब आलम पठान **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

**निर्णय** दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता सं 573 खसरा संख्या 118 तादादी 4.8330 हैक्टेयर में से 0.937 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 हिमांशु का सही एवं वास्तविक नाम हिमांशु पवन सरावगी है तथा प्रार्थी संख्या 2 का निकिता का सही एवं वास्तविक नाम निकिता पवन सरावगी है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हिमांशु पवन सरावगी की बजाऐ हिमांशु एवं निकिता पवन सरावगी की बजाऐ निकिता दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीगण का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि में प्रार्थीगण का नाम हिमांशु पवन सरावगी एवं निकिता पवन सरावगी दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में हिमांशु पवन सरावगी की बजाऐ हिमांशु एवं निकिता पवन सरावगी की बजाऐ निकिता दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर किसान [illegible] नहीं बनवा सकते है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकते है। प्रार्थी [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम हिमांशु के स्थान पर अपना [illegible] एवं वास्तविक नाम हिमांशु पवन सरावगी एवं निकिता के स्थान पर निकिता पवन सरावगी दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम हिमांशु पवन सरावगी के स्थान पर हिमांशु एवं निकिता पवन सरावगी के स्थान पर निकिता दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थीगण के रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता सं 573/205 में प्रार्थीगण का नाम हिमांशु पवन सरावगी एवं निकिता पवन सरावगी दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता सं 573/205 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ''**प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिमांशु पवन सरावगी के स्थान पर हिमांशु एवं निकिता पवन सरावगी के स्थान पर निकिता दर्ज हो गया।**'' जिसके समर्थन में प्रार्थी ने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर अपने चित्रप्रति आधार कार्ड व पैन कार्ड के दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थीगण का नाम हिमांशु पवन सरावगी एवं निकिता पवन सरावगी अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता सं 573/205 में प्रार्थी का नाम ''**हिमांशु के स्थान पर हिमांशु पवन सरावगी एवं निकिता के स्थान पर निकिता पवन सरावगी**'' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्राथीगण ही प्रभावी माने जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भ... नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को ... जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:33 IST
Reason: SelfAttested

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़)

(हस्ताक्षर)
(... सिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़